न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 14/2015 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— गुरूमीतसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति जटसिख निवासी चक 17 बी. एल. डी., तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

——— अपीलान्ट

— बनाम —

राजस्थान राज्य।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री नायबसिंह — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 14.11.2018

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 25.06.2015, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने स्वर्गीय पिता श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र बख्तावरसिंह के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 38/72 ओ.एस. संख्या 249/2012 एडीएम सूरतगढ पर दर्ज शस्त्र 12 बोर एसबीबीएल गन नं. 4417 को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र लेने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर, पुलिस अधीक्षक, सीआईडी(एटीसी) जयपुर, अति. पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशा) जोन, श्रीगंगानगर एवं तहसीलदार, विजयनगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट क्रमांक 966 दिनांक 8.5.14 की रिपोर्ट में ओवदक को लाईसेंस दिया जाना "अनुचित" है, की टिप्पणी एवं गृह विभाग, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31.03.2010 के अनुसार अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की शर्ते पूर्ण नहीं होने का उल्लेख करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2015 से अपीलांट के स्व. पिता श्री लक्ष्मणसिंह का उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 38/72 ओ.एस. संख्या 249/2012 एडीएम सूरतगढ एवं अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो को बहस बताया एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री नायबसिंह ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील मीमो को ही अपनी बहस बतलाया, जिसमें मुख्य रुप से कथन है कि अपीलांट के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर जिला कलक्टर ने तहसीलदार एवं पुलिस अधीक्षक, राज्य सीआईडी विशेष शाखा, जयपुर से रिपोर्ट मांगी गई। प्रार्थी के चाल–चलन के संबंध में तमाम रिपोर्ट अपीलांट के पक्ष में आई है। तहसीलदार, विजयनगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 2.4.14 में प्रार्थी का चाल–चलन अच्छा लिखते हुए प्रार्थी को लाईसेंस देना उचित लिखा है। अति.पुलिस अधीक्षक, सीआईडी विशेष शाखा, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक 493 दिनांक 16.4.14 में प्रार्थी के अच्छे चाल–चलन की रिपोर्ट दी। इस सब के बावजूद पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 966 दिनांक 8.5.14 में उल्लेखित बिन्दु सं. 1 से 4 प्रार्थी के पक्ष में लिखते हुए बिन्दु सं. 5 में प्रार्थी को लाईसेंस देना ''अनुचित'' लिखा, जिसका कोई आधार उन्होंने नहीं दिया और इसी रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। अपीलांट अपने पिता के लाईसेंस पर दर्ज गत को अपने नाम लाईसेंस प्राप्त कर उसे दर्ज करवाना चाहता था जिसके लिए उसके पिता लक्ष्मणसिंह के तमाम वारिसों ने सहमति प्रदान कर दी थी। प्रार्थी के चाल–चलन संबंधी तमाम विभागीय रिपोर्ट प्रार्थी के पक्ष में होते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने जो आदेश दिया है, उससे प्रार्थी के साथ घोर अन्याय हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई गलत रिपोर्ट को आधार माना, स्वंय का कोई माईण्ड एप्लाई नहीं करते हुए जो आदेश दिया है वो गलत है। अपीलांट को सुनवाई और साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का भी समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने मृतक पिता का शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्रों को अपने नाम करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन किया है। लाईसेंस व्यक्तिगत दिया जा रहा है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र उतराधिकार में दिये जाने की वस्तु नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट क्रमांक 966 दिनांक 8.5.14 की रिपोर्ट में ओवदक को लाईसेंस दिया जाना ''अनुचित'' है,

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की टिप्पणी की गई एवं गृह विभाग, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31.03.2010 के अनुसार अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की शर्ते पूर्ण नहीं होने का उल्लेख करते हुए इसी आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। अपील अपीलांट मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलांट ने बहस में अवगत कराया अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को विलम्ब से प्राप्त हुई है, जिसके समर्थन में मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के मध्यनजर रखते हुए न्यायहित में अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. प्रकरण अनुसार अपीलांट ने अपने पिता के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.6.13 को अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् दिनांक 7.3.14 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 966 दिनांक 8.5.14 की रिपोर्ट में ओवदक को लाईसेंस दिया जाना "अनुचित" है, की टिप्पणी की गई है तथा गृह विभाग, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31.03.2010 के अनुसार शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की शर्ते पूर्ण नहीं होने का उल्लेख करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.6.15 से अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया । आवेदक द्वारा पैतृक सम्पति के तौर पर शस्त्र प्राप्त करने के उद्देश्य से अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन किया, इस संबंध में सहायक लोक अभियोजक के इस कथन से हम सहमत हैं कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र उत्तराधिकार में दिये जाने योग्य वस्तुत नहीं है। अपीलांट ने अपने जीवन को होने वाले संभावित खतरों के संबंध में पुलिस जांच परीक्षण में कोई कथन व्यक्त नहीं किये हैं। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मीमो को ही बहस बतलाया है और किसी प्रकार का कोई नवीन साक्ष्य/सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिस पर कोई विचार किया जा सके। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.6.2015 में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

8. अतः अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2018 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

9. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 14.11.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर